2018/00183

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 20/2019

1–आसिकअली 2–नवी 3–मनीष पुत्रगण अजमेरी 4–बुलाखी 5–सलीम 6–बतलून पिसरान नत्थी 7–शरीफन बेबा इश्लाम 8–गुडडी उर्फ नसरीन पुत्र इश्लम 9–संजय 10–सुनील पुत्रगण इश्लम समस्त जातिगण तेली निवासीगण तसीमो तहसील सैपऊ 11–रमजो पुत्र प्यारे 12–भोलू 13–रक्के 14–लखे 15–जल्लो 16–सराजू पुत्रगण माया 17–जरीना पुत्री माया समस्त जातिगण तेली निवासीगण रामफल का पुरा तहसील बसेडी

..........................वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.................................प्रतिवादीगण
दावा इश्तकरार हक व इन्द्राज
दुरूस्ती दफा धारा 88 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *रामअवतार गौड एडवोकेट* ............... (वादीगण)

निर्णय दिनांक 04.07.2019

वादीगणों द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर साविक 43 रकवा 1 वीघा 10 विश्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 56 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा तथा साविक खसरा नम्बर 44 रकवा 1 वीघा 10 विश्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 57 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ के वादीगण संख्या 1 लगायत 3 कि पिता अजमेरी पुत्र शिवलाल तथा वादीगण संख्या 4 लगायत 6 के पिता व वादिया संख्या 7 के ससुर एंव वादीगण संख्या 8 लगायत 10 के बाबा व वादीगण संख्या 12 लगायत 17 के नाना नत्थी पुत्र शिवलाल बहिस्सा बराबर बन्दौबस्ती गैरखातेदार काश्तकार थे तथा अपने जीवन पर्यन्त वादीगण के पूर्व पुरूष नत्थी व अजमेरी पुत्रगण शिवलाल कौम तेली निवासी तसीमो तहसील सैपऊ उपवर्णित आराजीयात पर निरंन्तर रूप से काबिज होकर काश्त करते रहे। राजस्व कर्मचारियो द्वारा उपरवर्णित विवादित आराजीयात का बटवारा कर हाल खसरा नम्बर 56 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा वादीगण संख्या 1 लगायत 3 के पिता अजमेरी पुत्र शिवलाल व हाल खसरा नम्बर 57 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ नत्थी पुत्र शिवलाल के नाम पृथक पृथक खाता कायम कर दिया। अजमेरी पुत्र शिवलाल व नत्थी पुत्र शिवलाल का निधन हो चुका है। वादीगण संख्या 1 लगायत 3 अजमेरी पुत्र शिवलाल के तथा वादीगण संख्या 4 लगायत 17 नत्थी पुत्र शिवलाल के वारिस व कायम मुकाम तथा उत्तराधिकारीगण है। इस प्रकार सोनो बेवा नत्थी व इश्लाम

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

पुत्र नत्थी एंव माया पुत्री नत्थी का निधन हो चुका है वादीगण संख्या 6 लगायत 9 इश्लाम पुत्र नत्थी के वादीगण संख्या 10 लगायत 16, माया पुत्री नत्थी के जायज वारिस तथा उत्तराधिकारीगण है। आराजीयात मुन्दर्जे मद संख्या 1 अर्जी दावा में वादीगण के पूर्व पुरूष अजमेरी व नत्थी पुत्र शिवलाल कौम तेली निवासी तसीमो को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुरूप खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे । परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के पूर्व पुरूषो का नाम विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार के अंकित नही किया और नाही वर्तमान में वादीगण का नाम विवादित आराजीयात पर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया है।

वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा मुकदमा डिक्री किया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को हाल खसरा नम्बर 56 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें तथा हाल खसरा नम्बर 57 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसीलसैपऊ पर वादीगण संख्या 4 लगायत 17 को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किया जावें। दीघर हादरसी जो करीने इन्साफ हो वह भी बादीगण को अता फरमाई जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही आये तथा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। हमने अभिभाषक एकपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया। सभी दस्तावैजी एंव मौखिक रूपी साक्ष्यो से हम सहमत है तथा को स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को हाल खसरा नम्बर 56 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसील सैपऊ पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें तथा हाल खसरा नम्बर 57 रकवा 1 वीघा 4 विश्वा वाके ग्राम तसीमो तहसीलसैपऊ पर वादीगण संख्या 4 लगायत 17 को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा उसी के अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात किया जावें।

पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ